रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268590
CG-DL-E-17122025-268590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5637] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947
No. 5637] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5832(अ).— जबकि मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस प्लॉट नंबर 152, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान में बीकानेर प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/105/2024-पीजी दिनांक 27.11.2024 के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर में एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, दैनिक नवज्योति (हिन्दी) दिनांक 04.03.2025, युगपक्ष दैनिक (हिन्दी) दिनांक 04.03.2025, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी)

दिनांक 04.03.2025, दैनिक भास्कर (हिन्दी) दिनांक 04.03.2025, द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिनांक 04.03.2025, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 04.03.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 29.03.2025 में प्रकाशन की से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 17.11.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर तीन (3) अवलोकन / अभ्यावेदन प्राप्त हुई थी, जिसका उचित उत्तर दिया जा चुका हैं।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और

खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं:

1. एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजना-बीकानेर-III (आई.एस.टी.एस) पूलिंग स्टेशन 220 केवी एस/सी लाइन डी/सी टावर (लाइन की लंबाई लगभग 16 किमी है)

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन राजस्थान राज्य के निमांकित गांवो, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

ग्रामों का नाम	तहसील	जिला
केलां, बेरा, बरिया, बन्या, मोतीगढ़, डन्डानवला टिब्बा, जीवनवाला ढोरा, सरदारपुरा, राजासर और राजासर भाटियान	छत्तरगढ़	बीकानेर
मकड़ासर	लूणकरणसर	बीकानेर
बरजू, बराला, करणीसर, करणीसर भाटियान और बन्डारेवाला	पूगल	बीकानेर
जालवाली, लाखूसर, कालासर, जोगनाथनगर, डेरे जोगनाथ, नूर मोहम्मद की ढाणी, नूरखान की ढाणी, धोलेरा (1 एवं 2) और शरह धोलेरा	बीकानेर	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उदेश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/ एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

[फा. सं. 25-16/71/2025-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5832(E).— Whereas M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited, the applicant with its registered office at Plot No.152, Sector-44, Gurugram-122002, Haryana, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003, for laying of overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its proposed 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/105/2024-PG dated 27.11.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its proposed 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.

M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Navajyoti (Hindi) dated 04.03.2025, Yugpaksh Dainik (Hindi) dated 04.03.2025, Rajasthan Patrika (Hindi) dated 04.03.2025, Dainik Bhaskar (Hindi) dated 04.03.2025, The Times of India (English) dated 04.03.2025, The Indian Express (English) dated 04.03.2025 and in Weekly Gazette of India dated 29.03.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited has submitted an affidavit dated 17.11.2025 declaring that three (03) nos. of observations/representations were received within two months from the date of publication of public notice and observations received were suitably replied.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. ACME Cleantech Solutions Private Limited Solar Power Project - Bikaner-III (ISTS) Pooling station 220kV S/c line on D/c tower (line length is approximately 16 km)

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of State of **Rajasthan**

Name of the villages	Tehsil	District
Kelan, Bera, Bariya, Banya, Motigarh, Dandanwala Tibba, Jiwanwala Dhora, Sardarpura, Rajasar and Rajasarbhatiyan	Chattargarh	Bikaner
Makdasar	Lunkaransar	Bikaner
Barju, Barala, Karnisar, Karneesar Bhatiyan and Bandarewala	Pugal	Bikaner
Jalwali, Lakhusar, Kalasar, Jognath Nagar, Dere Jognath, Noor Mohmad ki dhani, Noor Khan ki Dhani, Dholera (1 & 2) and Sharah Dholera	Bikaner	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/71/2025-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.17 21:55:47 +05'30'